न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 120/2017

अपीलांट

पन्नाराम पुत्र श्री वरदाजी, जाति माली उम्र 56 वर्ष, निवासी खुडाला गांव, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. सीमा पुत्री मुपारामजी उम्र 24 वर्ष, जाति सरगरा निवासी जवाई बांध रोड सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. पानी पत्नी श्री मुपारामजी, उम्र बालिग, जाति सरगरा, निवासी जवाई बांध रोड सुमेरपुर, जिला पाली।
3. श्रवणलाल पुत्र बुदारामजी उम्र 32 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सेहवाज, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
4. तहसीलदार बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

विद्वान अभिभाषक श्री रामलाल भाटी अपीलांट की ओर से।
विद्वान अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र व्यास रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा मुकदमा संख्या राजस्व विविध 02/2016 बउनवान पन्नाराम बनाम सीमा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि आवंटन नियम 1970 के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 558 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी दोयम, जिसके नये खसरा नंबर 1259 रकबा 0.86 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट से पूर्व उसके पिता व दादा का निरतंर कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात मृतक आसिया पुत्र किशना जाति सरगरा को दिनांक 22.07.1970 को आवंटन हुई थी। जबकि उक्त आराजीयात पर संवत 2023 व संवत 2024 की खसरा परिवर्तनशील की नकल के अनुसार हका व पूनीया पिसरान मेगा माली का कब्जा अंकित है तथा हका व पुनिया का संवत 2023 से भी काफी समय पूर्व से भी कब्जा रहा। हका के पुत्र वरदाजी हुये तथा वरदाजी के पुत्र क्रमशः पकारा, पन्नाराम व नेमाराम हुये। अपीलांट उक्त वरदाजी का पुत्र तथा हकाजी का पौत्र है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का म्यूटेशन संख्या 323 मृतक आसिया पुत्र किशना जाति सरगरा के नाम दिनांक 20.10.1970 को आवंटन होने से नामातरकण खोला गया। उक्त आसिया के फौत होने के बाद फौतेदगी के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1211 भरा गया, जिसमें सीमा को मृतक आसिया के पुत्र मांगीलाल की पुत्री व पानी को मृतक आसिया के पुत्र मांगीलाल की पत्नी बताकर म्यूटेशन अपने नाम भरवाया। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने उक्त म्यूटेशन के आधार पर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 03 श्रवणलाल को जरिये पंजीकृत दस्तावेज बेचान कर दी। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर सवंत 2023 से लगाकर आज दिनांक तक अपीलांट एवं अपीलांट के पूर्वजो का निरन्तर कब्जा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 22.07.1970 को आसिया को आवंटन की गई, जबकि किसी के कब्जे वाली आराजी का आवंटन नियमानुसार नहीं हो सकता, चाहे वो कब्जा बतौर अतिक्रमी ही क्यों न हो। जिससे आसिया को वादग्रस्त आराजी के संबध में किया गया आवंटन नल एंड वोईड है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा गत 50 वर्षो से चला आ रहा है। जिस पर रहवासीय मकान बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्तो तथ्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे। साथ ही आवंटन आदेश दिनांक 22.07.1970 को भी निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात आसिया को दिनांक 22.07.1970 को आवंटन हुई थी, जिसे लगभग 50 वर्ष का समय हो चुका है। आसिया के देहान्त के पश्चात आसिया के पुत्र मांगीलाल के विधिक वारिसान होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के नाम उक्त आराजी जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के दर्ज हुई। उक्त म्यूटेशन के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 व 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान कर दी। जिसका उन्हे पूर्ण अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के संबध में अपीलांटगण द्वारा अपने कब्जे के संबध में मौखिक कथन किये है। किन्तु इस संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। वादग्रस्त आराजीयत आसिया को आवंटन की विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन की गई एवं उसके पश्चात आवंटन शर्तो की पालना करने के आधार पर आसिया को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि आवंटन नियम 1970 के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 558 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी दोयम, जिसके नये खसरा नंबर 1259 रकबा 0.86 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात पर अपना कब्जा बताते हुए आसिया के नाम आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वजो एवं स्वंय का कब्जा होने के मौखिक कथन किया है किन्तु इस संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा रहा हो। एवं जहा तक आवंटन का प्रश्न है तो आसिया को वादग्रस्त आराजी का आवंटन हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके है। एवं अपीलांटगण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने बाबत लगभग 46 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका कोई युक्तियुक्त कारण अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। एवं जहा तक वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का मौखिक कब्जा होने का प्रश्न है तो इस संबध में आर.आर.डी 1987 पेज 54 मे माननीय वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी।" वादग्रस्त आराजीयात आसिया को वर्ष 1970 में आवंटन हुई थी एवं कब्जा सुपुर्द किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार इन्द्राज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट उक्त आवंटन आदेश के संबध में हुये उल्लंघन को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा मुकदमा संख्या राजस्व विविध 02/2016 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
पाली